

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 522]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 नवम्बर 2014—कार्तिक 22, शक 1936

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2014

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-4-7-2014-उन्तीस-1.—भारत सरकार, उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना आदेश क्रमांक एस. ओ. 681 (ई) दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश केरोसिन व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश, 1979 में संशोधन करने के संबंध में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-4-7-2014-उन्तीस-1, दिनांक 9 अक्टूबर सन् 2014, जो कि “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 9 अक्टूबर सन् 2014 के राजपत्र क्रमांक 476 में प्रकाशित हुई है, में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों तथा चिन्ह के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द तथा चिन्ह पढ़े जाएं :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द तथा चिन्ह (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द तथा चिन्ह आए हैं (2)	शुद्ध शब्द तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं (3)	
	पृष्ठ	पंक्ति	
खण्ड 8	952	17	खण्ड 18
of	952(1)	15	or
clausue 8	952(1)	24	clause 18

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.